an>

Title: The motion for the consideration of Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2018 (Motion adopted and Bill passed).

HON. SPEAKER: The House shall now take up Item no.21.

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदया, आधार में अमेंडमेंट का बिल है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में हम अमेंडमेंट लेकर आए हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको मूव तो कर ही चुका हूं इस को सदन के सामने चर्चा के लिए आपकी अनुमति से प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am very grateful to you, Madam.

I beg to move:

> "That the Bill to amend the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and further to amend the Indian Telegraph Act, 1885 and the Prevention of Money-laundering Act, 2002, be taken into consideration."

महोदया, आधार का बिल इसी सदन ने पारित किया था । 130 करोड़ लोगों के देश में 123 करोड़ लोगों के पास आज आधार है।...(व्यवधान) मुझे मालूम है कि आपके पास नहीं है और आपने उसे वालंटेरिली नहीं लिया है, यह भी मुझे

मालूम है। यही इस लोकतंत्र की मजबूती भी है कि आपकी भावना का सम्मान किया गया है।

मैडम, आधार से हमने जन-धन अकाउंट और मोबाइल से आधार को जोड़ा । आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश के 90 हजार करोड़ रुपये अभी तक बचाए गए हैं, जिनको बिचौलिए खा जाया करते थे। Today, the poor people are feeling empowered. Aadhaar is an identity.

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

आधार की तारीफ स्वयं वर्ल्ड बैंक ने की है, आईएमएफ ने की है, बाकी दुनिया के देश के लोगों ने भी की है। आधार हिन्दुस्तान की एक टेक्नोलॉजी है, जो बिलकुल लो कॉस्ट और सेफ है।

माननीय सभापति जी, कुछ लोगों ने आधार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहां कई तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट प्राइवेसी का दिया, आर्टिकल 21 का और दूसरा, उन्होंने आधार के बारे में दिया । आधार के बारे में मैं Bhartruhari Mahtab ji, I am only reading the main portions of the judgment. सभापति जी, मैं निर्णय से पढ़ रहा हूं-

> "The architecture of Aadhaar as well as the provision of the Aadhaar Act do not tend to create a surveillance State."

दूसरा, उन्होंने कहा कि गरीबों को जो कल्याणकारी योजना का लाभ मिल रहा है, वह सैक्शन 7 के अंदर बहुत ही उचित है। उससे गरीबों को सामाजिक न्याय में मजबूती मिली है। तीसरी बात उन्होंने कही -

> "Aadhaar serves legitimate State aim which can be discerned from the Act and the Statement of Object."

सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है-

"Aadhaar Act meets the concept of limited Government, good governance and Constitutional trust."

लेकिन उन्होंने दो-तीन बातों के लिए हमें निर्देश दिया है कि टेलिफोन सेवाओं, मनीलॉन्ड्रिंग के मामलों में इसका उपयोग करते हैं तो उसके लिए कानून लेकर आइए । दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर बच्चे आधार के अंतर्गत आते हैं तो माता-पिता का कंसेंट चाहिए।

तीसरा, बच्चे जब मेजर हो जाएं, तो उनको यह अधिकार मिलना चाहिए कि इससे वे बाहर निकल सकते हैं। चौथा, उन्होंने कहा कि आधार के अभाव में किसी को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पांचवीं बात उन्होंने कही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मोबाइल फोन के लिए या बैंकिंग के लिए आधार की सेवाओं का उपयोग करें, तो वह मैन्डेटरी नहीं होना चाहिए । ये महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। प्राइवेसी की चिंता की भी बात उन्होंने कही है।

सभापति जी, हमने इस नए बिल में दो चीजों का ध्यान रखा है। पहला, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस निर्देश का हम पालन कर रहे हैं। दूसरा, हमने श्रीकृष्णा कमेटी की एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ की बात हुई थी, जो हम अलग से ला रहे हैं। लेकिन श्रीकृष्णा जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही माने हुए रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आप आधार एक्ट में दो-तीन परिवर्तन करिए । पहला, आधार की अथॉरिटी को डायरेक्शन देने का अधिकार होना चाहिए for compliance by the people. अगर कंप्लाइन्स न करें, तो हैवी पेनल्टी की बात होनी चाहिए । चाहे वह सरकारी एजेन्सी हो या अर्ध-सरकारी एजेन्सी हो । हमने इसमें प्रावधान किया है, if the direction of the Aadhaar is not complied with, Rs. 1 crore fine shall be imposed. But, that fine will be adjudicated by the Adjudicating Officer subject to appeal.

दूसरी बात, हमने कई वाइलेशन के सजा की अवधि को बढ़ा दिया है। तीन साल से आगे बढ़ाया है। इस बात की हमने विशेष चिंता की है कि अगर कोई मोबाइल कंपनी या कोई बैंकिंग कंपनी के.वाई.सी. के रूप में आधार का उपयोग करती है, तो उसको ऑप्शन देना पड़ेगा, जो हम रेग्युलेशन में देंगे। वह क्या-क्या है, आप आधार दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं या कोई और अपना ऑथेन्टीकेशन का डाक्यूमेन्ट दे सकते हैं। इसलिए आधार बंधनकारी नहीं है। Aadhaar is not mandatory. यह हमने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आधार का उपयोग सिर्फ आधार के उद्देश्य के लिए करेंगे। अगर आपने इसका दुरुपयोग बिना कन्सेन्ट के लिए किया तो आपको हैवी पेनल्टी और क्रिमिनल प्रासीक्यूशन होगा। हम लोगों ने इसको पूरी तरफ से टफ किया है, निजता का ध्यान रखा है। The proposed amendments are in compliance with the hon. Supreme Court's judgment. The proposed amendments are also in compliance of the suggestions of the Justice Srikrishna Committee to improve the architecture.

सभापति जी, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। यह बिल आधार के सिस्टम को मजबूत करने वाला है, प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान करने वाला है और आधार को बंधनकारी नहीं बनाने वाला है। यह अथॉरिटी की पॉवर को मजबूत करता है कि कोई भी संस्था चाहे वह बैंक हो या सरकारी संस्था हो या मोबाइल संस्था हो, अगर वह आधार के निर्देशों की अवहेलना करेगी, they can be subjected to severe prosecutions. Therefore, this is basically strengthening the Aadhaar ecosystem.

With these words, hon. Chairperson, I would recommend this House to kindly accept the proposed amendments because they are in compliance with the judgment of the hon. Supreme Court and they are also fulfilling the mandate given by the Justice Srikrishna Committee. I am grateful.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to amend the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and further to amend the Indian Telegraph Act, 1885 and the Prevention of Money-laundering Act, 2002, be taken into consideration."

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, thank you for allowing me to speak on Aadhaar. It is something that has been disturbing not only me as a Member in this House, but also many citizens that I have come across. The Government keeps repeating it. As all of us are aware, the best example that can be given of the 20^{th} Century was of Goebbels who said that "A lie oft repeated sounds like the truth." The claim that out of 130 crore, so many hundred plus crore have enrolled for Aadhaar, is a debatable point because it is a Government data. Neither you nor I have access to that. But, the claim that Aadhaar is an identity, is very clear to us. We do not know whether 123 crore people have already enrolled for Aadhaar or not. I have my doubts. It is because in my State and even in the BJP-ruled State of Jharkhand, we regularly come across news items where people are dying.

People are inconvenienced because the lowest of the low Government officer and the bank employee are still insisting on Aadhaar. Even in universities, colleges, law colleges across the country whether you take Bhubaneswar, whether you take Pune and whether you take places in Uttar Pradesh to admit the children, they are insisting on Aadhaar. If you do not have Aadhaar, they are not allowing admission.

But on the other hand, to claim that Aadhaar is an identity, is in my opinion, a very wrong notion being fed to the country. It is simply a

tool for authentication. It is not an identity. It is not equivalent to your passport. It does not tell anybody else that you are an Indian citizen or you are a non-Indian or you are an Oriya or an Ahomiya or an Andhra person. It does not give you any identity. So, that is a misconception which is wailed in the House.

The claim that we have saved Rs.90,000 crore through Aadhaar is again a very debatable point because none of us are aware actually how much has been saved due to this authentication process because as far as I know things seem to have improved because the people today in India have become conscious. It has nothing to do with any political party. People have become conscious and they are aware. People are able to recognise when a middleman is cheating them.

Sir, you will be somebody, who will understand this very well, although you are not putting on your headphone. So, I do not know if you are able to listen to me. For example, take the farm sector. You know that the middleman is essential even today in the farm lands of India across the country. The reason being whether it is the Block Officer, whether it is the FCI official, whether it is any State or Central Government official, they are not capable of opening *mandis* in every panchayat. They are not having the requisite storage facilities. We are not modernizing our storage facilities to temporary silos by which over these years, we have inconvenienced the farmer and forced the farmer to depend on the middleman. So to condemn (*bicholia*), the middleman in every form is not correct. I sometimes sit and wonder whether the middleman is a Pakistani or a Chinese. Is he not a part of the Indian economy? Is he also not voting for a certain party? So, he is a voter. He is a citizen of this country and he has a right to earn also.

Now what does he do in farming? When the Government agencies are not available and when there are no banks in 20-30 kilometres radius, it is only the middleman who goes and gives an advance to the farmer. He says that you are going to start tilling the land and you are going to start sowing, here is Rs.2000 and you take this and you start your work. When the farmer finally harvests the crop, it is obviously this middleman who has the first priority. He might be giving a lower price than the MSP. We admit that there is crookedness functioning there. But then he is the one who is taking the risk also. If the crop fails, it is the middleman who is suffering. The farmer just raises his hand and says that he cannot help.

So let us also understand that there is a difference between cheats/thugs and a genuine middleman who is an economic operative at every level of Indian society. You cannot wish him away. You cannot call the middlemen to be an alien who is to be detested, abhorred and should be killed. That is not what I agree to.

As far as directions on Aadhaar which the hon. Minister mentioned are concerned, it is good that we are talking about directions on Aadhaar. But everything is being left on the bureaucracy. This is something I have been repeating here in this House. Why are you leaving everything to the bureaucracy?

Are you not competent yourself? The hon. Minister is very highly educated and qualified lawyer and he probably knows much more than any office *babu* in his multiple Ministries those who draft the Bills. He definitely knows more. He had been a Leader of the Opposition and I have had the privilege of sharing a Committee when he was in the Opposition. I always used to think that when a person like him comes to

power, he will actually bring about qualitative change in governance. He will bring in right senses to others who also share power. Some have come from bureaucracy, suddenly have popped up through the Rajya Sabha; some have come through something else from the legal profession, but here is a man who has ample experience and expertise. This is not flattering the hon. Minister. This is something what I feel. I have had four terms in Lok Sabha and I have not seen any qualitative change. The hon. Minister has been a Member for even a much longer time. Probably since the hon. Minister belongs to a particular party, he cannot say it publicly. But at the privacy of your home he must be getting exasperated and feel like saying, like you say in यह क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का क्या हो रहा है? Where are we taking this country? Leaving everything on regulations means leaving everything to the bureaucracy.

Sir, I would like to bring a few points to your kind notice. Central identities data repository has biometric and demographic data of every person enrolled with UIDAI. What questions can be raised of propriety and conflict of interest? Executives who have worked or are working with the Unique Identification Authority of India, the parent agency for Aadhar, are launching companies or are funding start-ups that offer Aadhar based services. Forget the Supreme Court. I was saddened to see the Supreme Court puts up a businessman who was representing a big company from Bengaluru and was located somewhere in Silicon Valley in California. He is not a technocrat. He is a simple sales person. If he was not successful and did not have thousands and crores in his bank account and got a Congress ticket, he would have been probably selling soaps and washing machines or something like that. He is a simple salesman. But the Supreme Court thinks he is a technocrat. The Supreme Court puts him up in Committees where he is supposed to decide on the

fate of citizens of this country. Now, how was the Supreme Court misled? It is because the Government gave him so much of importance. This has nothing to do with the BJP. It was the Congress which started the evil. They only emboldened the evil. So, this parent agency for Aadhar is launching companies or are funding start-ups that offer Aadhar based services and products for a fee.

Sir, consider the case of a person with initials VR who was the Chief Product Manager of UIDAI which he served as a volunteer between October 2010 and June 2013; Another person with initials SN was UIDAI's head of technology from 2009 to 2012; another person with initials SJ was Chief Product Manager of UIDAI between 2010 and 2012. All three of them founded Khosla Labs in September 2012 in India. Now, what is interesting is that this Khosla Lab is owned by a company based in Mauritius which owns 99 per cent of Khosla Labs India. This Khosla Labs India is owned by Khosla Labs Mauritius. Who are the owners? There is no clarity about that.

When we are talking about UIDAI and Aadhar, I am talking about the new Sections which have been changed supposedly on the advice of the Supreme Court. Aadhar Eco-system includes enrolling agencies, Registrars, requesting entities, off-line verification seeking entities and any other entity or group of entities as may be specified by regulations.

This is '(aa).' I do not wish to get into the matter of 'Adjudicating officer' or that part. It will become very long. But the question is that what is this Aadhaar eco-system? Aadhaar eco-system primarily consists, as also can be seen in this Bill, of two streams of thought – 1) Those who are using Aadhaar; 2) Those who are collecting, tabulating and keeping hold on the Aadhaar data.

But these two streams are finally joining as a river or a rivulet, and what is happening is that you have these people who are collecting Aadhaar data, who are tabulating them, and they are the same people who are now insisting on Aadhaar. It is because the more Aadhaar spreads, the more business options they have. I wish to bring to the Government's notice that this Government is voted by millions of Indians. So, is it aimed only at encouraging the business people, what some people say as Bengaluru Mafia? Is it only intended to help them or intended to create an atmosphere where the average citizens can feel, 'that my Government is not imposing on me; my Government is not denying me my basic rights; my Government is not stopping my food because I do not have Aadhaar?' It is very good to sit here in this air-conditioned Parliament. While it is cold outside in Delhi, we are in the warmth. But it is very difficult to imagine the situation of a poor farmer, of a poor lady and a widow in a village in Jharkhand, Maharashtra, Odisha or Mizoram, who has nobody to back her. Her children have disowned her. Her family does not exist, and what has she to do? She has to produce her Aadhaar even to get into a hospital. There are cases in West Bengal. There have been instances in Uttar Pradesh, in Bihar, where pregnant women have been denied basic medical facilities to give birth to a child because they did not have Aadhaar. Sir, there are not many speakers. Therefore, I need another couple of minutes to speak. I will not take too long.

माननीय सभापति: टाइम हो रहा है। इसको पास भी करना है।

श्री तथागत सत्पथी : सर, इस देश में यही तो प्रॉब्लम है। हमको कहा जाता है कि 'debate, discuss, decide', लेकिन डिबेट डिस्कस करते हैं। डिसिजन तो बने बनाये बाबू ने लिख दिया है। We have nothing to do with this. When I

go to my Constituency and face my people, I think I am a joker. These people expect so much from me and what am I doing? I am only saying 'Ayes' and 'Noes.' Even if I say 'No', the Chair says that 'Ayes have it', no matter whether the number is large or small because it is a Government Bill and it will be passed. Because they are in a larger number, they are the Government, so, it means that they will pass everything. But I will only beseech upon the hon. Minister and I will call upon his inner being that does he have feelings for India? He has to think about this.

In one of the insertions of new Section 3(a) (ii), you spoke only about the parent's consent, but please read the next part – "A child who is an Aadhaar number holder may, within a period of six months of attaining the eighteen years of age, which is supposed to be major, make an application to the Authority for cancellation of this Aadhaar number, in such manner as may be specified by regulations and the Authority shall cancel his Aadhaar number."

Sir, think of yourself. When you were 18, would you have even understood as to what is Aadhaar? Would you have even comprehended as to what is UIDAI? Would you have even understood as to what is demographic data which is being collected from you?

Where is the data kept? Is it kept in Bengaluru? Is it kept in Texas? Who knows it? At the age of 18, you are supposed to get a time limit of six months. Once you cross six months or once your processing takes longer than six months, you cannot get out of this evil clutch.

There are so many sections like that which the Government is completely turning a blind eye to. Since you are in a great hurry, I would

only like to point out one more thing before I wind up. Clause 23A (1) of this Bill says:

> "The Authority may for the discharge of its functions under this Act, or any rules or regulations made thereunder, by order, issue such directions from time to time to any entity in the Aadhaar ecosystem, as it may consider necessary"

Sir, this authority is UIDAI and in the ecosystem, again, means all private companies and here is the proof I gave you where UIDAI officials are double-timing. Even today, they are double-timing, they are working for start-ups, they are encouraging start-ups and they are helping private companies. So, what are we trying to do? We are, on the one hand, giving them the authority to decide what to do and, on the other hand, they are also getting the authority to decide how to work. Hence, in policy and implementation, you are making them cohabit in single individuals, individuals who are working for Government and double-timing as private people.

This is happening whether it is Khosla Labs or Eye Spirit. I do not know, 'I' means intelligent. I am not intelligent, I am a fool. Intelligence also is written with humility that I am so humble, I get amazed looking at myself in the mirror every morning. It is like that only. People are like that.

So, this is the kind of country we are building and I would only submit to the hon. Minister that Aadhaar is an evil, Aadhaar is something that is going to harm this country. You have been an Opposition leader. This is a democracy. The beauty of democracy is change. If not now, sometime later, once again you will be in the

Opposition, you will be fighting the Government and I hope you will have the good sense to understand that creating a menace like Aadhaar can only harm India, it will never help the poor and the deprived of this country to benefit from the Government if you straitjacket them through a system called Aadhaar.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : महोदय, आपने मुझे आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

निश्चित ही माननीय मंत्री जी ने अभी जो कहा कि इस आधार बिल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फिर से कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं। इसमें निजता और शुचिता दोनों का आधार है। निजता और शुचिता के आधार पर जब हम इसका विश्लेषण करें तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इसमें नया संशोधन किया है, धारा 15(3)(7) में कि किसी बालक द्वारा अधिप्रमाणन द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करने में असफलता के मामले में अथवा उस बालक के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे किसी सब्सिडी, फायदे या सेवा से इंकार नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर जो थोड़ी कुछ लोगों के बीच में गलतफहमी थी कि नहीं, आधार के आधार पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर उनको जबरदस्ती तरीके से ऐसा करके सुविधा से वंचित किया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड नहीं है, इसलिए आप इस सुविधा के हकदार नहीं हैं। इस धारा के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी ने उसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से उद्धृत कर दिया है कि यह किसी भी ऐसी योजना पर बाधक नहीं बनेगा। इसका जो दूसरा पक्ष निकलकर आया है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत सी सरकारी सुविधाओं को विभिन्न जगहों से ले रहे थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई आइडेन्टिफिकेशन नहीं था। जैसे आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, आज इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की बात हो रही है, तो डिजिटल इंडिया के आधार पर जिसे वेरीफाई

किया जा सके कि यह व्यक्ति अमुक सुविधा को प्राप्त कर रहा है, उसकी जो मैनुअल कॉपी थी, वे उसका किसी तरीके से उपयोग कर कई प्रकार के लाभ लेते रहते थे। इससे भी लाभ हुआ।

जैसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो गरीबों को एल.पी.जी. कनेक्शन दिए, उसमें बहुत से ऐसे लोग थे, जो गरीबी रेखा से ऊपर रहने के बावजूद भी उसका लाभ ले रहे थे। वे सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट भी लेते थे। लेकिन, जब इस आधार को उससे जोड़ कर वेरिफाई किया गया तो उसमें से बहुत बड़ी संख्या अपने आप निकल कर बाहर चली गयी। जो सम्पन्न थे, जो एल.पी.जी. गैस कनेक्शन, रसोई गैस की छूट का अब तक लाभ लेते थे, उनके उससे निकल जाने से जो 90,000 करोड़ रुपये के फायदे की बात की जा रही है, उस फायदे के कारण हमारी सरकार ने अभी तीन दिनों पहले छः करोड़वां एल.पी.जी. गैस कनेक्शन देकर इस देश में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम भी किया है।

हमारी सरकार ने इस तरह के कई कार्य किए, उनमें 'आधार' का आधार बड़ी मजबूती से निकल कर आया। इसमें जो थोड़ी-सी विसंगति थी, उसे आज दो-तीन उपबंधों के द्वारा विशेष तरीके से फिर से निकालने का काम किया गया है। कुछ लोग उस आधार के माध्यम से गरीबों के हक पर डाका डालने का काम करते थे, उन्हें अलग हटा कर पूरी की पूरी योजना चलाई जा रही है। सिर्फ 'आधार' योजना में उसे रेखांकित करने से उससे 90,000 करोड़ रुपये बचे, जिसने बहुत सारे गरीबों के आँसू पोंछने में एक आधार का भी काम किया। निश्चित ही, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में जो 'आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक' प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इसमें जो विसंगतियां थीं, उन्हें इस विधेयक के द्वारा उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है।

पहले पूरे देश में, विशेष तौर से जन कल्याणकारी योजनाओं के धन का जो लोग दुरुपयोग करते थे, 'आधार' लागू होने के बाद से वह रुका है। वे अपना नाम कई जगहों पर चढ़वाकर उसकी सुविधाएं लेने का जो काम करते थे तो ऐसे करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग रोकने का काम किया गया है।

मान्यवर, लगभग 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। केवल 10 प्रतिशत लोग ही वंचित है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने यह प्रावधान भी किया है कि ऐसे लोगों को, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, अगर उनके पास 'आधार' नहीं है तो उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें वह लाभ बिना 'आधार' के भी मिल जाएगा। लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो शेष लोग बचे हैं, उनका 'आधार' बनाने की प्रक्रिया को और अच्छा बनाएं। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बैंकों को इसके लिए कहा गया। बैंक अपने यहां 'आधार' तो बना रहे हैं, लेकिन वे इसके लिए कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। जैसे उनके यहां इसके लिए जो काउंटर हैं, उन्हें बैंकों ने बढ़ाने का काम नहीं किया है। उसके लिए काउंटर्स की संख्या बढ़ाएं, ताकि अभी जो लोग आधार कार्ड बनाने जाते हैं, उससे उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। अपनी मैनपावर्स भी बढ़ाने का काम करें, यह भी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

साथ ही, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो दिव्यांग हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है, उनके लिए आपने इसमें विशेष प्रावधान करने का काम किया है। जो अंगूठा नहीं लगा सकते हैं या जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी आपने अलग से व्यवस्था करने का काम किया है कि उनका चेहरा और अन्य चीजें देखकर उनका परीक्षण कर लिया जाए। इस विषय का भी विशेष तौर से संज्ञान लेते हुए इन चीजों को करने का काम करेंगे, जिससे शेष लोगों को भी यथाशीघ्र आधार कार्ड मिल जाए।

यही बात कहते हुए मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसादः माननीय सभापति जी, मैं माननीय सत्पथी जी, शरद जी, भैरों प्रसाद मिश्र जी और सदन के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से सुना और अपनी बातें कही हैं।

महोदय, मैं माननीय सत्पथी जी का बहुत सम्मान करता हूं। ये बड़े अनुभवी संपादक हैं और अनुभवी सांसद भी हैं। आपने मेरे बारे में जो अच्छी बातें कही हैं, उसके लिए आपका अभिनन्दन, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इस बिल को कैबिनेट पास करती है। पदाधिकारी इसे बनाते हैं, मैं निर्देश देता हूं, पर कैबिनेट पास करती है। कैबिनेट हाउस के प्रति एकाउंटेबल है। इसलिए यह कहना कि पदाधिकारियों ने बना दिया और आप इसे लेकर चले आए, यह उचित नहीं है।

दूसरी बात कि इस देश को चलाने में इस देश के पदाधिकारी-कर्मचारी की भी भूमिका होती है। जो गलत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संसद को भी चलाने में हमारे पदाधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है।

इसलिए यदि कोई ऑफिसर या कर्मचारी है, तो उसके खिलाफ प्रेजुडिस रखा जाए। आप एक ऐसे अनुभवी सांसद हैं, इसलिए आपसे मेरी उम्मीद कम है। आपने कहा कि आधार किस लिए होना चाहिए। आधार हिन्दुस्तान के लिए और हिन्दुस्तानियों के लिए है, आप एक बात समझ लीजिए।

दूसरी बात, हम विपक्ष में आधार का विरोध करते थे, क्योंकि यूपीए का आधार निराधार था, कोई कानून नहीं था। जब मोदी जी का आधार आया, तो सबसे पहले इसको आधार एक्ट से मज़बूत किया। अब आपने कहा कि यह डिजिटल आइडेंटिटी क्या है। यह डिजिटल आइडेंटिटी फिजिकल आइडेंटिटी को कनफर्म करती है। यह उंगलियों तथा आँख का निशान है। यह फिजिकल आइडेंटिटी को मज़बूत करती है। अब आपने कहा कि इससे आप डिनाई कैसे करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इस सदन के सामने कहना चाहता हूं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि मनरेगा पेमेंट में लाखों-लाखों जाली वर्कर्स का

पेमेंट होता था? आज आप चाहे किसी भी प्रदेश को देख लीजिए, आपके भी प्रदेश में आधार के बाद बैंक एकाउंट में उस गरीब मज़दूर का पैसा जा रहा है और वह मज़बूत हो रहा है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि बहुत सारे राशन दुकान वाले जाली ग्राहक का लिस्ट बनाकर गेहूं तथा चावल मार लिया करते थे? आज आधार के बाद वे सीधे पकड़े जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और अपने ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि मोदी जी की सरकार में किसी भी गरीब को आधार के आभाव में अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा। हमने इसका सर्कुलर भेजा है। आपने झारखंड की जो बात कही, हमने स्वयं स्वीकार किया था कि यह समस्या आधार के कारण पैदा नहीं हुई थी।

आपने अस्पताल में कुछ मेडिकल हेल्प की बात की। आपने बहुत सही कहा। हमारी सरकार ने तय किया है कि आधार के अभाव में किसी को भी अस्पताल में फर्स्ड एड से रोका नहीं जाएगा। हम इसके लिए गंभीरता से चिंता कर रहे हैं। आपने कहा कि मिडिलमैन तो अच्छा काम करते हैं। यह जो मिडिलमैन है न, उसका मिडिल ही बड़ा गड़बड़ हो जाता है। जो अच्छा काम करते हैं, वे इंस्पायर करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, दलाल को हम पार्लियामेंट्री कहें कि नहीं कहें, मैं यह नहीं जानता हूं, लेकिन जैसे ही वह शब्द आता है, तो कुछ न कुछ कटिंग, फिटिंग और सेटिंग की बात होती है। आधार ने क्या किया है, इसने कुछ कटिंग, फिटिंग और सेटिंग करने वालों को अलग कर दिया है और अब सीधे जनता के एकाउंट में पैसा जा रहा है। यह तो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही कहा, आईएमएफ ने इसको सही कहा, वर्ल्ड बैंक ने सही कहा, नोबल लॉरेट्स ने सही कहा।

माननीय सभापति जी, मैं आपको बताऊं कि आजकल मैं विदेश में जाता हूं, आज से आठ-दस महीने पहले मैं कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कांफ्रेस में बहमास गया था। सारे अफ्रीकी देशों के मंत्रियों ने कहा कि मंत्री जी हमें आधार के बारे में बताइए। आज हिन्दुस्तान का आधार दुनिया को आधार दिखा रहा है। सत्पथी जी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात

कहूंगा कि आधार की सच्चाई इसी में हैं कि अगर 130 करोड़ के देश में 123 करोड़ ने आधार को माना है, तो यह आधार की सफलता है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अब आपने कहा कि यह 18 साल में कैसे काम करेगा? अगर 18 साल का नौजवान वोट देकर इस देश की तकदीर बदल सकता है, तो क्या वह आधार के बारे में फैसला नहीं कर सकता है।

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया): 18 साल का जवान हमारे देश की सरहद पर पहरा दे रहा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: हमारे राज्य मंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि 18 साल का जवान सरहद पर पहरा दे रहा है। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस बात को हमेशा समझें कि आधार ने अपनी एक लोकप्रियता बनाई है, अपनी ग्राह्यता बनाई है। Today, AADHAAR is accepted; AADHAAR is recognised; and AADHAAR is serving its utility.

अब आपने हमारे पदाधिकारियों के बारे में कुछ कह दिया, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि UIDAI is not supporting any startup or company for AADHAAR related services. यह बात मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा। अब आपको जिसने भी यह बात कही है, उसके बारे में आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : I did not say 'UIDAI'. I said 'employees of UIDAI'.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: If you have any specific example, kindly let me know. I will look into it. यह अथॉरिटी के नाते इस सदन के प्रति जिम्मेवार है।

माननीय सभापति जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश में आलोचना बहुत होती है, लेकिन इस देश में अच्छे काम करने वालों की तारीफ भी होनी चाहिए। आज जब मैं खड़ा हूं, चूंकि आधार मेरे अंतर्गत काम करता है।

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I praised you.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am grateful to you. अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

माननीय सभापति जी, उसी सिस्टम में आधार के ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने देश के 123 करोड़ लोगों तक आधार पहुंचाया है। इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। अगर अच्छा काम हुआ है और उसकी सेवाएं भी चल रही है, इसलिए हमें लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए।

आधार से एक और फायदा क्या हुआ है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। यह क्या होता है, वह आधार लेकर जाता है, गांव-गांव जाता है और उनका पेमेंट भी कर देता है, जो आपने बताया डिजिटल डिलिवरी ऑफ सर्विसेज, उनके डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में होता है। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को बदलने का प्रयास है। यह नरेन्द्र मोदी जी का एक प्रकार से देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आम आदमी के हाथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है, चाहे वह मोबाइल फोन हो, चाहे वह जनधन एकाउंट हो, चाहे वे बाकी एप्स हों। आज किसान, हेल्थ, एजुकेशन हर क्षेत्र में इसका काम हो रहा है और आधार उसकी बहुत बड़ी धुरी है। हमने इसको क्यों बनाया? माननीय सत्पथी जी का कहना था कि यह ऑफलाइन वैरिफिकेशन क्या है, यह अल्टरनेटिव क्या है? जवाब बहुत सुंदर है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम आधार का उपयोग करेंगे, हमारा नंबर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। हमने इसमें प्रावधान किया है कि आप अपना 12 डिजिट का प्राइवेट नंबर बना सकते हैं और जब आधार की आवश्यकता पड़ेगी, तो आधार का नंबर दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका अपना नंबर दिखाई पड़ेगा, तो प्राइवेसी का राइट भी हो गया। ऑफ लाइन का क्या है कि भैय्या हमारा ऑनलाइन मत करो, जैसे हम एयरपोर्ट में घुसते हैं, अपना आधार निकालते हैं।

माननीय सभापति जी, आज मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं। बात कही गई कि आप कहां रिकार्ड रखते हैं? यह सारा रिकार्ड हिंदुस्तान में बेंगलुरु और मानेसर में रहता है, कोई विदेश में नहीं रहता है। आधार में कम से कम तथ्यों का हम उपयोग करते हैं।

सभापति जी, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं अपना आधार कार्ड इस सदन के सामने दिखाना चाहता हूं। इस आधार कार्ड में क्या है? मेरी फोटो है, मैं पुरुष हूं, मेरे पटना का स्थायी पता और मेरे पिता जी का नाम है। इसमें क्या नहीं है, मेरी जाति क्या है, मेरा समुदाय क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा मेडिकल रिकार्ड क्या है, मेरी इनकम क्या है और मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, जिससे हमको प्रोफाइल किया जा सके, लेकिन सिस्टम में हमारी उंगलियों के निशान हैं, हमारी आंख की पुतलियां हैं, जो कानून के द्वारा बिल्कुल सेफ सिक्योर हैं। आधार कैसे काम करता है? हम बैंक गए, पूछा कैसे काम हो रहा है, सीधा नंबर देंगे और आधार कहेगा कि यह नंबर रवि शंकर प्रसाद का है। उसे मालूम नहीं है कि किस काम के लिए पूछा गया है। एक प्रकार से अलग-अलग खण्डों में करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास भारत के वैज्ञानिकों ने किया है, जो आज दुनिया में बहुत ही प्रशंसा का पात्र बना है।

हमारा खुला मन देखिए, जो भी कमजोरी सुप्रीम कोर्ट ने बताई, हम उसमें सुधार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सैक्शन 57 को निरस्त कर दिया, हमने भी निरस्त कर दिया। हम इस प्रकार से आधार को एक मजबूत आधार के रूप में देश के सामने रख रहे हैं। भैरों प्रसाद मिश्र जी ने जो बात कही है, हम उसकी चिंता करेंगे। अगर आपके क्षेत्र में बैंक ने कमजोरी की है, तो मैं विशेष रूप से चिंता करूंगा कि वहां पर एक्सपिडाइट किया जाए।

आज अगर 130 करोड़ के देश में 123 करोड़ लोगों ने आधार को माना है, तो आधार ने देश के विकास के लिए अपना जनाधार बनाया है। उसमें जो कुछ सुधार करने की जरूरत थी, यह बिल उसके लिए है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसको पास करें।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : In protest, I walk out. It is because spiritually and morally I oppose Aadhaar.

17 53 hrs

At this stage, Shri Tathagata Satpathy left the House.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब इस पर खंडवार विचार किया जाए।

Clause 2 Definitions

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी सभा में अपने संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं क्लॉज 2 से 27 तक सभा के मत के लिए एक साथ लेता हूं।

प्रश्न यह है:

“ कि खंड 2 से 27 विधेयक का अंग बनें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1 Short title and commencement

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 और 6,--

“ इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 है। ”

के स्थान पर

“ इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 है” प्रतिस्थापित करें। (1)

(श्री रवि शंकर प्रसाद)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

“कि खंड 1 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं:

“ कि विधेयक यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

“ कि विधेयक यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।